महत्वपूर्ण एवं खास

स्कूटी पर शराब परिवहन करते व्यक्ति को जूटमिल पुलिस ने पकड़ा

आरोपी से 48 पाव अंग्रेजी शराब, 12 बीयर व स्कूटी जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी जुटमिल में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक खेमराज पटेल व हमराह आरक्षक द्वारा दिनांक 14.06.19 के रात्रि करीब 21ः30 बजे मिट्ठुमुड़ा दुर्गा चौके के पास मुखबिर सूचना पर एक्टीवा स्कूटी के पैरदान के पास दो कार्टून में शराब लेकर बिक्री करने के लिए लाते हए भुपेन्द्र सिंह पिता बसन सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी जगतपुर रामभांठा रोड सम्बलेश्वरी मंदिर के पीछे रायगढ को पकडे । जिसके पास से (1) एक कार्टून के अंदर 180 एमएल वाली अंग्रेजी शराब स्पेशल व्हीस्की 48 नग (2) एक कार्टून के अंदर हंटर स्ट्रौंग बीयर 12 नग (3) घटना में प्रयुक्त एक मैरून कलर की होण्डा एक्टीवा सीजी 13 युडी 3988 जप्त किया गया है । आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली(चौकी) जूटमिल में अप.क्र. 445/19 धारा 34(2)59(क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई है ।

टायलेट घोटाले में सरपंच सचिव से होगी 13 लाख की रिकवरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। बरपाली पंचायत में एसबीएम की प्रोत्साहन राशि बांटने में गड़बड़ी मिली है। गांव में ग्रामीणों द्वारा स्वयं के खर्च से बनाए गए व पूर्व में भी बन चुके टायलेट के लिए भुगतान करना दिखा दिया गया है। जांच टीम के निरीक्षण के बाद इस टायलेट घोटाले में सरपंच सचिव से अब 13 लाख रूपये की रिकवरी की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बनाने के लिए बरपाली ग्राम पंचायत में भी भ्रष्टाचार की गंदगी फैली थी। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने जांच टीम बनाई थी। इसमें जिपं के एसीईओ के नेतृत्व में 5 लोगों ने जांच कर रिपोर्ट बनाई है।

जिला पुलिस द्वारा जप्त किये गये अवैध मदिरा का किया गया नष्टीकरण

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला पुलिस द्वारा जप्त की गई मदिरा को राजसात योग्य घोषित करने उपरांत आज दिनांक 15.06.19 को कलेक्टर रायगढ़ द्वारा गठित कमेटी ने अनुपयोगी जप्त मदिरा का विधिवत व्यनन नष्टीकरण के माध्यम से किया गया ।

जिला पुलिस रायगढ़ द्वारा जिले के विभिन्न थानाक्षेत्र में अवैध रूप से बिक्री करते तथा अवैध शराब रखना पाये जाने से छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत वर्ष 2018 तक जप्त किए गए 150 प्रकरणों में 3840 लिटर देशी/विदेशी मदिरा को राजसात योग्य घोषित कर नष्टीकरण हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय रायगढ़ को प्रेषित किया गया था । जिनके द्वारा जप्त मदिरा के मानव उपयोग होने अथवा ना होने की जांच/सत्यापन आबकारी अधिकारी द्वारा कराया गया । आबकारी अधिकारी द्वारा जप्त मदिरा का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट दी गई कि जप्त मदिरा मानव उपयोग योग्य नहीं है जिससे कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय

द्वारा जप्तसुदा अनुपयोगी मदिरा का व्यनन नष्टीकरण के माध्यम से कराये जाने हेतु अपर कलेक्टर आर.ए. कुरवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी रायगढ़ इंद्रबली सिंह मारकंडे की टीम गठित किया गया जिसमें थाना प्रभारी कोतवाली एवं चक्रधरनगर सदस्य के रूप में थे । गठित कमेटी द्वारा विधिवत पर्यावरण विभाग से अनुमति प्राप्त कर आज शासकीय भूखंड में अनुपयोगी मदिरा को गहरे गड्ढे में डालकर उसके ऊपर रोलर चलाकर ऊपर मिट्टी से दबाया गया है । इस दौरान मौके पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एस.एन. सिंह, थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक युवराज तिवारी, चौकी प्रभारी जूटमिल निरीक्षक अंजना केरकेट्टा, थाना प्रभारी भूपदेवपुर उत्तम साहू, चौकी प्रभारी कनकबीरा उनि आर.सी. पैंकरा, एसपी रीडर सउनि गिरधारी साव एवं समस्त थाना/चौकी के स्टाफ मौजूद थे।

भगवान जगन्नाथ का 108 पवित्र जल स्त्रोतों के जल से कल होगा स्नान, रथ यात्रा की तैयारी शुरू

न्याय साक्षी/रायगढ़। राजमहल के सामने स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर रायगढ़ में आगामी रथयात्रा को देखते हुए जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट रायगढ़ द्वारा तैय्यारीयां प्रारंभ हो चुकी हैं जिसमें 17 जून सोमवार को सुबह 10 बजे भगवान को मंदिर प्रांगण में स्नान वेदी में लाया जाएगा जहां 108 पवित्र जल स्त्रोतों के जल से स्नान कराकर 56 भोग का प्रसाद लगाया जायेगा एवं संध्या 6 बजे से महाप्रभु के समक्ष देवेन्द्र नाथ बेहरा एवं अन्य नृत्यांगनाओं द्वारा ओडिसी की आकर्षक नृत्य वंदना की प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

जमीन बेचने के नाम पर 15 लाख की ठगी, चक्रधर नगर थाना में मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। आवेदिका शीला तांड़ी उम्र 36 वर्ष निवासी चिरंजीवदासनगर रायगढ का विगत 4 - 5 साल से लोचननगर में किराये मकान में रहने वाले सुरेश साखेर और उसकी पत्नी सुमेधा साखेर से अच्छा जान परिचय था दोनों परिवार के बीच धीरे धीरे परिवारिक संबंध और अच्छे बनते गये । 2016 में दोनों पति पत्नी ने आवेदिका शीला तांडी को बोला कि मेडिकल कालेज के पास 20 एकड़ खेती भूमि प्रतिभा पंडा के नाम से हैं जहां कि जमीन की कीमत बहुत अधिक है परंतु आपसे घर जैसा संबंध है इसलिये आपको 15 लाख रूपये एकड़ लगा देंगे तब शीला तांडी ने कहा मेरे पास इतने रकम नहीं है ।

इतनी बड़ी रकम मैं एक साथ व्यवस्था नहीं कर सकती। दोनों पति पत्नी ने रकम थोड़ा थोड़ा करके दे देना , 15 लाख राशि पूर्ण होने के पश्चात हम जमीन की रजिस्ट्री आप के नाम कर देंगे बोले। जिस पर शीला तांडी अपने माता पिता से 5 लाख रूपये मांग कर तथा अपने वेतन और जमा की गई राशि से कुल 15 लाख रूपये जुटा कर सुरेश साखेर और उसकी पत्नी सुमेधा साखेर को दी।

शीला द्वारा अंतिम भुगतान ढाई लाख का चेक नवम्बर 2017 में दिया गया था जिसके बाद भी दोनों रजिस्ट्री के लिए टाल मटोल कर रहे थे । जब शीला तांडी ने कानूनी कार्यवाही की बात की तब सुरेश साकेर ने 4 चेक शीला तांडी को दिया जो सभी फाल्स थे ।

उसके बाद आवेदिका को जानकारी हुई कि क्रय की जाने वाली भूमि विवादित है दोनों पति पत्नी छल कपट कर 15 लाख ठग लिये हैं और आवेदिका द्वारा शिकायत किया गया जिसकी जांच पर थाना चक्रधरनगर में दिनांक 14.06.19 को अनावेदक पति-पत्नी के विरूद्ध अप.क्र. 193/19 धारा 420, 34 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

ट्रक का टायर फटा, पिकअप को टक्कर मारने के बाद दीवार से टकराया

ट्रक चालक की मौत, पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायपुर से सर्फ साबुन लोड कर ओडिशा जा रहा 10 पहियों वाल ट्रक एक टायर फटने से बेकाबू होकर सामने से आ रही पिकअप को ठोकर मारते हुए कालोनी की दीवार में जा घुसा। इससे ट्रक चालक आदित्य किसान की मौत हो गई। वहीं पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक आदित्य किसान पिता गोपी किसान उम्र 50 ओडिशा जिला सुंदरगढ़ का रहने वाला है। आदित्य किसान ट्रक क्रमांक ओआर 16 डी 6117 में रायपुर से सर्फ व साबुन लोड कर सुंदरगढ़ जा रहा था। इस बीच तड़के सुबह लगभग 5 बजे बोरोडिपा चौक

हाउसिंग बोर्ड कालोनी के पास ट्रक का टायर फट गया। इसके बाद ट्रक बेकाबू ने ओडिशा के पंचगांव से सब्जी लेकर पटेल पाली मंडी आर ही पिकअप को टक्कर मार दी। इसके बाद भी ड्राइवर ट्रक को नियंत्रित नहीं कर पाया और वह सीधे हाउसिंग बोर्ड कालोनी की दीवार में जा घुसा। इस दुघर्टना में दोनों वाहन के सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक की रफ्तार अधिक थी वहीं टायर फटने से चालक आदित्य वाहन ने नियंत्रण खो दिया। इस दुर्घटना को देख स्थानीय लोगो ने डायल 112 को सूचित कर मौके पर बुलाये जहा वाहन में फंसे चालक को खालसी एवं पिकअप ड्राइवर को इलाज के लिए पुसौर अस्पताल लेकर गए । अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पिकअप चालक व ट्रक चालक आदित्य को रायगढ़ मेडिकल कालेज अस्पताल लेकर आये जहां डॉक्टरों ने चालक आदित्य को मृत घोषित कर दिया, वही पिकअप चालक को गहन चिकित्सा में रखा गया है।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480